

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एफ 3 (ख)() अलेसे-11/

दिनांक:-04 फरवरी 2014

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश संख्या 235/2013-14 दिनांक 19.9.2013 के द्वारा उपकोषालयों में पदस्थापित / स्थानान्तरित लेखाकारों को विभागीय आदेश संख्या 277/2013-14 दिनांक 1.10.2013 के द्वारा निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त करते हुये उपकोषालयों में कार्यग्रहण करने एवं कार्यग्रहण नहीं करने तक वेतन भुगतान नहीं करने के आदेश जारी किये गये थे ।

निम्नांकित लेखाकारों की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर हो जाने के कारण उपकोषालयों में कार्यग्रहण नहीं किया :-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार वंसल, पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर
2. श्री कालूराम सुनार, पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. श्री बजरंगलाल शर्मा, राजकीय पी जी कालेज, डीडवाना जिला नागौर
4. श्री केसरमल गोंडवाल, पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर
5. श्री ज्ञानचन्द जैन राजकीय यू जी कालेज सहशिक्षा, मालपुरा जिला टोंक

अतः उक्त सहायक लेखाधिकारियों के वेतन भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(वीरबाला जोशी)

निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 18705-15

दिनांक:-04 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को वेतन भुगतान हेतु
2. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
3. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. सहायक निदेशक (काडर) कार्यालय हाजा
7. रक्षित पंजिका / आदेश पंजिका।

(क.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग